न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 17/2014

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
1.उकी देवी पत्नि बंशीलाल जाति भील निवासी सिवाना तहसील सिवाना 2.महेन्द्रसिंह पुत्र जेतमालसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील,बाड़मेर		1.ग्राम पंचायत सिवाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना 2.सम्पतराज पुत्र चन्दनमल जाति जैन निवासी सिवाना हाल निवासी चम्पावाड़ी सिवाना तहसील सिवाना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 वास्ते निरस्त करने विक्रय विलेख पट्टा संख्या 317 दिनांक 18.01.1985जो नगर–पालिका सिवाना द्वारा अप्रार्थी 02 सम्पतराज के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः 1.श्री पवन सिंहल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2.श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता अप्राथी संख्या 02 की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 25.10.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खरीदसुदा आवासीय भुखण्ड आबादी भूमि सिवाना में मोकलसर से सिवाना को जाने वाली सड़क पर स्थित है जो भुखण्ड प्रार्थीगण–निगरानीकर्ता का खरीदसुदा आधिपत्य का भुखण्ड है, जिसका उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के पद संख्या 1 में किया गया है। वादग्रस्त भुखण्ड पूर्व मे पदमसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत का पुस्तैनी व कब्जा सुदा भुखण्ड था, जिस पर पदमसिंह का 40 वर्षो से आधिपत्य व स्वामित्व चला आ रहा था, पदमसिंह ने वर्ष 1972–73 में ग्राम पंचायत सिवाना मे अपने आधिपत्य व कब्जासुद भुखण्ड के पट्टे बाब्त आवेदन पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा मिसल संख्या 7/72–73, पटटा संख्या 153 दिनांक 04.12.1974 को सम्पूर्ण 3129.00 वर्गगज का भुखण्ड जो नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ'' में दर्शाया है जारी किया तथा ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा रू. 400/– की रकम प्राप्त कर रसीद संख्या 1739 दिनांक 04.12.1974 की उक्त भुखण्ड बाबत् जारी की तथा मौके पर पदमसिंह पुत्र विशनसिंह का कब्जा व स्वामित्व था, जिसके अनुरूप दिनांक 01.01.2007 को प्राथीगण द्वारा उपरोक्त सम्पूर्ण भुखण्ड खरीद किया,साथ ही प्राथीगण द्वारा उपरोक्त भुखण्ड में

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

से दिनांक 01.01.2013 को 80X100 फीट का हिस्सा, प्राथी 02 को बेचान किया, जिसके अनुरूप सम्पूर्ण भुखण्ड पर प्राथीगण 01 व 02 कब्जा व रहवास है, करीब 02 माह पूर्व उपरोक्त भुखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 अपने साथ 5–7 अन्य लोगों को लेकर आया, तथा मौके पर निर्माण कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न किया, तब प्राथीगण द्वारा उन्हे ऐसा करने से मना किया, तब वे लोग नहीं माने तथा उन्होने उपरोक्त भुखण्ड बाबत् स्थिति से अवगत कराते हुए प्राथीगण को उपरोक्त भुखण्ड के कुल 07 पट्टे, अप्रार्थीगण व उसके परिवार के पक्ष में सन् 1984–85 में नगर पालिका सिवाना द्वारा जारी करना बताया, जिस पर प्राथीगण द्वारा ग्राम पंचायत सिवाना से उपरोक्त भुखण्ड बाबत पट्टो की जानकारी प्राप्त करने हेतु सुचना चाही, जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 ग्राम पंचायत सिवाना ने उल्लेख किया कि दिनांक 18.01.1985 को पटटा संख्या 317 अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी होने का कथन किया, तथा उक्त पटटे की कोई पत्रावली, या रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना, न हीं नीलामी प्रकिया इश्तिहार प्रकिया बाबत् इश्तिहार रेकर्ड इत्यादि उपलब्ध होना कथन किया जिससे उपरोक्त भुखण्ड बाबत् दिनांक 29.08.2014 को प्रमाणित प्रति पट्टे की प्राप्त होने से प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त निगरानी पेश की गयी है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि उपरोक्त पट्टा देखने से ही बनावटी एवं मनगढत तरीके से बना होना प्रतीत होता है तथा उपरोक्त पट्टे को जारी करने बाबत् किसी प्रकार का रेकर्ड या पत्रावली, रसीदात इत्यादी भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, साथ ही यदि किसी कदर दिनांक 18.01.1985 को उपरोक्त पटटा जारी किया होता तो 30 वर्षो उपरान्त भी मौके पर उसका रहवास आधिपत्य इत्यादी का कोई भौतिक स्वरूप मौजुद नहीं होने से उपरोक्त पट्टा सन्देहास्पद है, जो निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही प्राथीगण द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भुखण्ड बाबत् अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पटटे में वर्णित आस पाड़ोस भी मौके से मेल नहीं खाने से भी उपरोक्त पटटा सन्देहास्पद प्रतीत होता है तथा सम्पूर्ण भुखण्ड जो कि 3129.00 वर्गगज का है जिसमें से मात्र 433.00 वर्गगज का ही पटटा, अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी होने से भी उपरोक्त पटटा सन्देहास्पद प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि उपरोक्त पट्टा,जो कि सादे कागज पर बनावटी प्रारूप में होने से सक्षम अधिकारी एवं उपपंजीयन कार्यलय में पंजीबद्व नहीं होने से शुन्य व निरस्त किये जाने योग्य है, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है,जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा भू–माफियों के जरिये जबरन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

हस्ताक्षर ...

Scanned by CamScanner

बेदखल करने का प्रयास करने पर प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय सिवाना में स्थाई निषेघाज्ञा का वादपत्र पेश किया था, जो वाद संख्या 24/2014 अदालत श्री द्वारा दर्ज किया गया, तथा जिसके सलंग्न अस्थाई निषेघाज्ञा का प्रकरण संख्या 28/2014 में मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होने से सिविल न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश यथावत रखने बाबत् आदेश दिनांक 12.09.2014 पारित किया, जो वर्तमान में प्रभावी है। तत्कालीन नगरपालिका सिवाना सन् 1986–87 में भंग हो चुकी है तथा उसकी समस्त शक्तियां व अधिकार ग्राम पंचायत सिवाना में निहित होने से उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है ,तथा हस्तगत भूमि आबादी क्षैत्र सिवाना में स्थित होने से उपरोक्त निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की गयी है, जो निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 317 मिसल संख्या 92/84–85 दिनांक 18.01.1985 को शुन्य व निरस्त घोषित किया जावे।

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये व ग्राम पंचायत सिवाना से रिकॉर्ड तलब किया जिस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्र संख्या 81 दिनांक 09.12.2014 पेश कर ग्राम पंचायत कार्यालय मे पट्टा 317 की मिसल संख्या 92/84 और कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना बताया।

3. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 26.11.2015 को जवाब पेश किया,जवाब मे बताया कि कि वादग्रस्त भुखण्ड एक बड़े क्षैत्रफल में स्थित है जो पूर्व में सांवलराम पिसरान खीमाराम आचार्य, राजीया पुत्र लुम्बा, नरसिंगा, पनिया, भंवरिया पिसरान राजीया जाति भील निवासी सिवाना, गिरधारी पुत्र लुम्बा,किस्तुरा,नेमा,थाना पिसरान गिरधारी जाति भील निवासी सिवाना का कब्जा सुदा था जिनके द्वारा वर्ष 1963–65 के मध्य विभिन्न बेचाननामा के जरिये पारसमल पुत्र सिरेमल जाति ओसवाल निवासी सिवाना को पंजीकृत विक्रय विलेख के बेचान करने पर उपरोक्त भुमि अप्रार्थी संख्या 02 के परिवार के महिला ओखीबाई पत्नी जसराज, मोहनीदेवी पत्नी जवाहरलाल के नाम से वर्ष 1975 में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद की गयी, जिस पर तत्कालीन नगर पालिका सिवाना के जरिये 1985 में परिवार के सदस्यों के नाम से कुल सात पट्टे, पटटा संख्या 311से 317 प्राप्त किये जाकर, उपरोक्त पट्टे उपपंजीयन कार्यालय सिवाना में पंजीयन करवाये गये, जिससे पंजीकृत विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय के समक्ष की चुनौती दी जा सकती है, जिससे निगरानी आधारहीन होने से खारिज योग्य है, साथ ही उपरोक्त पट्टे तत्कालीन नगर पालिका सिवाना द्वारा जारी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

होने से भी नगर पालिका अधिनियम की धारा 327 के तहत भी उपरोक्त पट्टो बावत् जारी आदेश व प्रस्ताव के विरूद्ध निगरानी राज्य सरकार को ही की जा सकती है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त निगरानी आधारहीन व क्षैत्राधिकार के तहत पेश नहीं होने से खारिज की जाए।

4. अप्रार्थी संख्या 02 की और से जवाब निगरानी के साथ उपरोक्त भुखण्ड बाबत् प्रार्थीगण के विरूद्ध किये गये फौजदारी प्रकरणों की एफआईआर की प्रति पेश की तथा उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्ठया उनको दोषी मानकर उनके विरूद्ध आरोपपत्र पेश होने की प्रमाणित प्रति पेंश की, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध दर्ज करवाये गये फौजदारी प्रकरण में भी उपरोक्त प्रकरण झुठा होना मानकर एफआर पुलिस द्वारा पेश की गयी, उक्त दस्तावेज भी अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पेश किये गये। जो संलग्न पत्रावली किये गये।

5. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी, पक्षकारान के विद्धान अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आबादी भूमि सिवाना में निगरानी के पद सं. 1 के उप पद संख्या ए व नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित आस पडौस का भूखण्ड पदमसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत का कब्जा सुद आधिपत्य का था,तथा जिसके द्वारा उपरोक्त भूखण्ड बाबत् पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा मिशल संख्या 7/72–73 के जरिये पट्टा संख्या 153 दिनांक 04.12.1974 का कुल 3129 वर्गगज का जारी किया, जो भूखण्ड प्रार्थीनी संख्या 1 द्वारा दिनांक 01.01.2007 को जरिये इकरारनामा के खरीद किया, जिसमें से 80X100 वर्गफीट का भूखण्ड प्रार्थी संख्या 2 को बैचान किया, जिससे मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा व स्वामित्व है, तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 2 के भूमि माफियों द्वारा जबरन बेदखल करने का प्रयास करने पर उनके विरूद्ध सिविल न्यायालय सिवाना समक्ष वाद पत्र पेश किया था, जिसमें पेश की गई कमिश्नर रिपोर्ट में वादग्रस्त स्थल पर प्रार्थीनी उकी देवी का रहवास व पूरे भूखण्ड में चार दीवार मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होने से अंतरिम स्थगन जारी किया था, जो आज रोज तक प्राभवी है, जिससे मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा व रहवास है, तथा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टे के अनुरूप कोई आस पडौस का भूखण्ड नहीं होने से उपरोक्त पट्टा फर्जी व बनावटी है। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपना आधिपत्य सावंलराम पुत्र खीमाराम आचार्य,राजिया पुत्र लुम्बा,नरसिंग,पनिया,भंवरिया पिसरान राजीया भील

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निवासी सिवाना के कब्जे व आधिपत्य का होना कथन किया व वर्ष 1963 से 65 के मध्य विभिन्न बेचाननामो के जरिये भूखण्ड पारसमल पुत्र सिलेमल जाति ओसवाल को हस्तान्तरण करने का कथन किया है एंव इसके पश्चात् पारसमल से उपरोक्त अलग अलग टुकड़ो में भूखण्ड अप्रार्थी संया 02 व उसके परिवार वालो के पक्ष में जरिये बेचान क्रय करने का तथ्य उल्लेखित किया है जबकि उक्त तथ्यो के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 02 ने कोई दस्तावेज और न ही बेचानकर्ताओं के शपथ पत्र पेश किये है। उन्होने तर्क दिया कि दौरान बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी के उपर फौजदारी प्रकरण पुलिस थाना में दर्ज करवाने का कथन किया है इस पर फौजदारी कार्यवाही मात्र. से वादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 02 को कोई विधि सम्मत अधिकार हासिल नहीं हो जाते है। उन्होने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 317 दिनांक 18.01.1985 विधि के प्रावधानो व नगरपालिका अधिनियम के विपरित जाकर पारित किया गया है, जारी पट्टे की पत्रावली व पट्टे बाबत कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत सिवाना के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जिससे जारी पट्टा संदेहास्प्राद प्रतीत होता है। पट्टे में जो नाप व पड़ोस का अंकन किया गया वो माप पाड़ोस व क्षेत्रफल की भूमि वर्तमान में कहीं भी लोकेट नहीं होती है, इसलिये विवादित पट्टा बिना आवेदन पत्र बिना मौका देखे नियम विरूद्ध जारी करना बताते हुए प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर अप्राथी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 317 को निरस्त किया जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर

6. अप्रार्थी सं. 02 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भुखण्ड एक बड़े क्षैत्रफल में स्थित है जो पूर्व में सांवलराम पिसरान खीमाराम आचार्य, राजीया पुत्र लुम्बा, नरसिंगा, पनिया, भंवरिया पिसरान राजीया जाति भील निवासी सिवाना, गिरधारी पुत्र लुम्बा, किस्तुरा, नेमा, थाना पिसरानी गिरधारी जाति भील निवासी सिवाना का कब्जा सुदा था जिनका द्वारा वर्ष 1963–65 के मध्य विभिन्न बेचाननामा के जरिये पारसमल पुत्र सिरेमल जाति ओसवाल निवासी सिवाना को पंजीकृत विक्रय विलेख के बेचान करने पर उपरोक्त भुमि अप्रार्थी संख्या 02 के परिवार के महिलाओं ओखीबाई पत्नी जसराज, मोहनीदेवी पत्नी जवाहरलाल के नाम से वर्ष 1975 में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद की गयी, जिस पर तत्कालीन नगर पालिका सिवाना के जरिये 1985 में परिवार के सदस्यों के नाम से कुल सात पट्टे, पटटा संख्या 311 से 317 प्राप्त किये जाकर, उपरोक्त पट्टे उपपंजीयन कार्यालय सिवाना में पंजीयन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करवाये गये, जिससे पंजीकृत विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, जिससे निगरानी आधारहीन होने से खारिज योग्य है, साथ ही उपरोक्त पट्टे तत्कालीन नगर पालिका सिवाना के द्वारा जारी होने से भी नगर पालिका अधिनियम की धारा 327 के तहत भी उपरोक्त पट्टो बाबत् जारी आदेश व प्रस्ताव के विरूद्ध निगरानी राज्य सरकार को ही की जा सकती है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त निगरानी आधारहीन व क्षैत्राधिकार के तहत पेश नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है, अतः खारिज की जावें, साथ ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज करवाये गये, फौजदारी प्रकरण में उपरोक्त पट्टा कुटरचित व फर्जी होने से प्रार्थीगण व पट्टा धारक के विरूद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश करने व उन्हे गिरफ्तार करने से भी प्रार्थीगण द्वारा पेश पट्टा पूर्णरूप से फर्जी व कुटरचित होने से प्रार्थी की निगरानी को निरस्त करने का निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

7. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। प्रस्तुत लिखित बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन व मनन किया, प्रार्थीगण ने उक्त निगरानी अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष जारी पट्टा सं. 317 दिनांक 18.01.1985 को निरस्त करने बाबत् पेश की है, पत्रावली पर उपरोक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति अप्रार्थी सं. 01 द्वारा भी पेश की है, तथा कथन किया है कि उपरोक्त पट्टा नगरपालिका सिवाना के द्वारा जारी होने तथा नगरपालिका सिवाना भंग होने से अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि पदमसिंह पुत्र विशनसिंह के नाम से जारी पट्टा संख्या 153 दिनांक 04.12.1974 बाबत् भी कोई पट्टा या रेकर्ड उपलब्ध नहीं है, प्रार्थीगण द्वारा जिस पट्टे के आधार पर उपरोक्त भूखण्ड को खरीद होना बताया है, उस बाबत् भी प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रतीत हो कि उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा पदमसिंह पुत्र विशनसिंह के पक्ष में जारी किया हो, इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा उपरोक्त भूखण्ड बाबत् पेश तमाम दस्तावेज पंजीकृत बैचान दस्तावेज है, तथा संपूर्ण भूखण्ड बाबत भी पेश कुल सात पट्टे भी 311 से 317 तक तमाम पट्टे तत्कालीन नगरपालिका सिवाना के द्वारा जारी होकर उप पंजीयन कार्यालय सिवाना में पंजीबद्ध है, तथा उपरोक्त तमाम पट्टों का उल्लेख भी प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के पद संख्या 01 के उप पद संख्या डी में उल्लेख किया है, जो इनका स्वीकृत कथन है, मगर उसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा मात्र पट्टा संख्या 317 के बाबत् ही उपरोक्त

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निगरानी पेश की है, शेष पट्टों के बारे में उपरोक्त निगरानी में पट्टा जारी होना का कथन करते हुए भी कोई कार्यवाही निगरानीकर्ता (प्रार्थीगण) द्वारा नहीं की गयी है, न ही इस बाबत् कोई स्पष्ट कोई कारण बताया है, तथा प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूखण्ड बाबत् अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध जो फौजदारी कार्यवाही की गई, तथा उपरोक्त फौजदारी कार्यवाही अनुसंधान अधिकारी द्वारा झूठी होना मानते हुए एफआर न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवाना के समक्ष पेश करने के बाद स्वयं अदालत द्वारा उपरोक्त एफआर में वर्णित तथ्यों को सही होना मानते हुए, स्वीकार करने पर भी प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आदेश के विरूद्ध कोई निगरानी, याचिका इत्यादि भी पेश की है, ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया, जबकि अप्राथी संख्या 02 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध उनके द्वारा पेश पट्टे को फर्जी एवं कुटरचित होना बताते हुए, पुलिस थाना सिवाना में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बाद जांच अनुसंधान अधिकारी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया, व उनके द्वारा विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा कथित उपरोक्त पट्टा संख्या 153 ग्राम पंचायत सिवाना के द्वारा जारी नहीं किया गया था, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में पेश वाद व उसमें पेश कमीशनर रिपोर्ट का कथन किया है, उक्त वाद पत्र में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि उक्त निगरानी में प्रार्थीगण वादग्रस्त भूखण्ड से उसे बेदखल करने का अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा प्रयास करने का कथन कर रहा है, जिससे अप्रार्थी संख्या 02 के पक्षकार के अभाव में अदालत द्वारा जारी आदेश से, अप्रार्थी संख्या 2 अप्रभावी है, तथा इस बाबत् स्वयं प्रार्थीगण द्वारा मौखिक कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने पक्षकार बनने हेतु आवेदन पेश किया गया, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त आदेश आवश्यक पक्षकार के अभाव में एकतरफा आदेश है,जबकि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पेश पट्टा पंजीकृत दस्तावेज है,तथा अन्य खरीद दस्तावेज भी पंजीकृत दस्तावेज है, तथा उक्त पंजीकृत दस्तावेज को न मानने का कोई स्पष्ट कारण प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया है, जिससे भी अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा पंजीकृत होने से उसको संदेह नहीं किया जा सकता, तथा स्वयं प्रार्थीगण द्वारा पट्टा संदिग्ध होने व उक्त पट्टे बाबत् कोई दस्तावेज पंचायत के समक्ष उपलब्ध नहीं होने से, तथा स्वयं अनुसंधान अधिकारी द्वारा फौजदारी प्रकरण में उक्त पट्टे को फर्जी होने से प्रार्थीगण को गिरफ्तार करने से उक्त पट्टा कानून विधि पूर्ण तरीके से जारी नहीं होने से तथा स्वयं प्रार्थीगण के पक्ष

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर / राजस्थान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

में जारी बैचान भी पंजीकृत नहीं होने से भी उक्त बैचान कानून स्वीकार करने योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की यह निगरानी सारहीन व आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाडमेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 25.10.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner